Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) के प्रोपराईटर को 40,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।**

जयपुर, दिनांक 29 मई, 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी एस. यू.-प्रथम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी **अनिल कुमार, डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) प्रोपराईटर** को परिवादिया व सह परिवादी से रिश्वत राशि 40,000/- **रूपये** प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी एस.यू. प्रथम जयपुर में परिवादिया द्वारा आरोपी अनिल कुमार के विरूद्ध रिश्वत राशि मांगने की शिकायत प्रस्तुत की गयी। जिसमे बताया गया की परिवादिया को प्रति माह 6300/- रूपये का भुगतान आरोपी अनिल कुमार द्वारा पीएफ व ईएसआई की कटौती के पश्चात किया जाता रहा है। आरोपी अनिल कुमार प्रोपराईटर मैसर्स डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) के प्रोपराईटर /संचालक द्वारा राज्य सरकार के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय से निविदा के अन्तर्गत डॉक्टर/एएनएम/जीएनएम/ सफाई कर्मचारी का कार्य आदेश प्राप्त कर उक्त कार्य आदेश के अन्तर्गत परिवादिया को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर गरुडवासी, चाकसू में संविदा पर नियुक्ति प्रदान की गई थी।

आरोपी द्वारा परिवादिया के यूएएन नम्बर, पीएफ, ईएसआई उसकी एमप्लाई आईडी/ सर्विस से लिंक करने (जोडने) के लिये 50,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा हैं।

दिनांक 21.05.2026 को परिवादी व सह परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान पाया गया की 40,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये सहमति प्रदान करना एवं सत्यापन के दौरान ही 5,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि सह परिवादी से प्राप्त की गयी एवं शंका होने पर आरोपी अनिल कुमार द्वारा वापस लौटते हुये एक साथ पुरी रिश्वत राशि देने के बारे में कहा गया।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एस.यू- प्रथम चौकी के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कौशिक** के नेतृत्व में टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आज आरोपी को सह परिवादी से 40,000/- रूपये की रिश्वत राशि अपने हाथ से प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, एवं आरोपी के पास परिवादिया का कार्य लम्बित होना भी पाया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** एवं **महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस.परिमला** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।